



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या- 1811/रा0नि0आ0-2/2668/2019 देहरादून: दिनांक: 13 सितम्बर, 2019

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1808/रा0नि0आ0-2/2668/2019 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को जारी होने के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर) आदर्श आचरण संहिता आज दिनांक 13.09.2019 से प्रभावी होकर परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:- 1811/रा0नि0आ0अनु0-2/2668/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
5. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।